राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2205/2019

गुगन राम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.08.2019
आदेश की दिनांक : 12.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : स्वयं
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर उपदान राशि रूपये 7,02,559/– पर वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 07.06.2004 के अनुसार देय तिथि 01.07.2011 से 31.03.2017 की अवधि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से राशि रूपये 3,63,559/– बनती है, जिसका भुगतान किए जाने का आदेश दिया जावे। उपदान राशि पर देय ब्याज राशि 3,63,559/– का भुगतान में विलम्ब करने के कारण देय तिथि से आगे की अवधि दिनांक 01.04.2017 से अगस्त, 2019 तक कुल अवधि 2 वर्ष 5 माह का ब्याज 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29.07.2016 के पैरा संख्या 7 के अनुसार ब्याज के भुगतान की विलम्ब अवधि के लिए ब्याज की स्वीकृति जारी किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार उक्त राशि पर देय ब्याज का भुगतान रूपये 79,074/– का कराने का निर्देश जारी किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की जन्म तिथि 20.06.1951 है और 60 वर्ष होने पर राजकीय सेवा से दिनांक 30.06.2011 को जिला परिषद, नरेगा, झुंझुनू से सहायक लेखा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के समय अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच सी.सी.ए. नियम 1958 के नियम 16 के तहत जांच लम्बित थी।

सेवानिवृत्ति दिनांक तक जांच अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंची। कार्मिक विभाग ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने आदेश दिनांक 24.11.2011 के द्वारा सी.सी.ए. नियम, 1951 के नियम 16 की जांच को सी.सी.ए. नियम, 1958 के नियम 18 में परिवर्तित कर दी गई, जबकि सेवानिवृत्ति के समय अनिर्णित जांच को सेवानिवृत्त कार्मिक के विरूद्ध कोई जांच आगे सी.सी.ए. नियम 1958 के अधीन जारी नहीं रखी जा सकती है और न ही कोई दण्ड सी.सी.ए. नियम 1958 के नियम 14 के अंतर्गत दिया जा सकता है। राज्य सरकार कार्मिक (क–3) विभाग का आदेश राज्य सरकार के समय–समय पर जारी निर्देशों एवं नीतियों के खिलाफ है।

राजस्थान सरकार की हैण्डबुक ऑन डिसिपलीनरी प्रोसीडिंग के पैरा 19 के अनुसार भी सेवानिवृत्त कार्मिक के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 1958 के अंतर्गत कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता यद्यपि उसके विरूद्ध राजस्थान सर्विस पेंशन नियम 170 जी अब नियम 7 के अंतर्गत जांच जारी रखकर निर्णित की जा सकती है, जिसमें गंभीर दुराचरण एवं लापरवाही सिद्ध होने पर पेंशन से वसूली या पेंशन स्थगित की जा सकती है। अपीलार्थी ने कार्मिक विभाग की संयुक्त जांच को अनियमित मानकर माननीय उच्च न्यायालय में अपनी रिट याचिका संख्या 14618/2011 एकल पीठ में चुनौती दी गई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.11.2016 को अपना निर्णय किया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध संयुक्त जांच की कार्यवाही को सही नहीं माना। संयुक्त जांच की कार्यवाही में माननीय उच्च न्यायालय ने सी.सी.ए नियम 1958 के नियम 18 की प्रारंभिक शर्त एक समान आरोप और एक समान साक्ष्य नहीं होने के कारण सही नहीं माना। जो अनुशासनिक नियमो को गलत दिशा में ले जाती है जो नियम 18 का अतिक्रमण है एवं संयुक्त जांच का आदेश दुषित है।

माननीय न्यायालय ने दिनांक 21.11.2016 को दिये गये निर्देशों पर कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने आदेश दिनांक 22.11.2016 को जारी कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर बताया कि अपीलार्थी का नाम वर्तमान स्तर पर संयुक्त जांच से पृथक कर दिया गया है। अब आगे की कार्यवाही उक्त तथ्यों के आधार पर निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर करेंगे। निदेशक ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2017 में अपीलार्थी को आंशिक दोषी मानते हुए, प्रकरण काफी पुराना होने, अपीलार्थी के दिनांक 30.06.2011 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण उपरोक्त वर्णित आंशिक उत्तरदायित्व होने पर भी निम्न हस्ताक्षरकर्ता निदेशक राज्य सरकार को हुई हानि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस

कारण सी.सी.ए. नियम 1958 के नियम 14(111) की शासित के लिए जिम्मेदार होते हुए भी निम्न हस्ताक्षर कर्ता (निदेशक) राज्य सरकार को हुई आर्थिक हानि की कोई वसूली का आदेश नहीं देती है, याची दिनांक 30.06.2011 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रकरण को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है। अनुशासनिक अधिकारी जिसने जांच प्रारंभ की है, वह सेवानिवृत्त राज सेवक के मामलों में जांच को स्वयं अपने स्तर पर समाप्त कर सकेगा, बशर्ते वह जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन कार्यालय अभिलेख एवं बचाव पक्ष के अभिलेख से संतुष्ट है कि सेवानिवृत्त राजसेवक के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम पेंशन 1996 के नियम 7 के अंतर्गत जो एक्शन लिया जाना है वह न्याय संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में ही अनुशासनिक जांच को अनुशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर बिना राज्यपाल महोदय की अनुमति लिए समाप्त कर सकता है। निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान ने अपने कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–2 क जी 67/288 अ.ले.से ../98 दिनांक 21.04.2017 द्वारा सेवानिवृत्त राजसेवक अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच बकाया नहीं है का प्रमाण पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी को उपदान राशि का भुगतान जरिये पी.पी.ओ. नंबर 041307867 (आर) दिनांक 22.06.2017 तादादी रूपये 7,02,559/– का किया गया। अपीलार्थी को उपदान राशि रूपये 7,02,559/– का विलम्ब से भुगतान प्रशासनिक कर्मियो/निष्क्रियता के कारण प्राबधित हुआ है, ऐसे में बिल विभाग के आदेश क्रमांक एफ–15(3) एफ.डी. (रूल्स)/97 .. दिनांक 07.06.2004 के अनुसार विलम्ब की अवधि का उपदान राशि पर 9 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा। जिसकी मांग अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से दिनांक 04.09.2017 को विभागाध्यक्ष को भिजवाई गई।

निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान ने उपदान राशि पर देय ब्याज का भुगतान करने हेतु स्वीकृति आदेश दिनांक 22.12.2017 के द्वारा वित्त विभाग, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग जो प्रशासनिक विभाग है, को भिजवायी गई। चूंकि विभागीय आदेश दिनांक 31.03.2017 के द्वारा कार्मिक की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2011 के द्वारा कार्मिक की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2011 को हो जाने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है, परिणामतः कार्मिक निर्दोष प्रमाणित हुआ है। अतः वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.06.2004 एवं राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 89(1) के अनुसार उपदान की राशि देय होने की दिनांक 01.07.2011 से पेंशन परिलाभ का भुगतान देय होने के पूर्ववर्ति माह की समाप्ति दिनांक 31.03.2017 तक की अवधि

का 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। नियम 89(2) के अनुसार उपरोक्तानुसार ब्याज की देय राशि का भुगतान करने के लिए प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है। उपदान के विलम्ब से भुगतान कर देय ब्याज (01.07.2011 से 31.03.2017 तक) अर्थात् 5 वर्ष 9 माह का ब्याज) की राशि रूपये 3,63,559/– का भुगतान करने की स्वीकृति जारी करने के लिए एकल पत्रावली प्रेषित है। उपदान राशि रूपये 7,02,559/– का विलम्ब से भुगतान होने का कारण प्रशासनिक कमिया/निष्क्रियता का होना है, जिसके कारण अपीलार्थी को उपदान राशि 5 वर्ष 9 माह विलम्ब से भुगतान किए, जिसका नुकसान अपीलार्थी को उठाना पड़ा।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर उपदान राशि रूपये 7,02,559/– पर वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 07.06.2004 के अनुसार देय तिथि 01.07.2011 से 31.03.2017 की अवधि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से राशि रूपये 3,63,559/– बनती है, जिसका भुगतान किए जाने का आदेश दिया जावे। उपदान राशि पर देय ब्याज राशि 3,63,559/– का भुगतान में विलम्ब करने के कारण देय तिथि से आगे की अवधि दिनांक 01.04.2017 से अगस्त, 2019 तक कुल अवधि 2 वर्ष 5 माह का ब्याज 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29.07.2016 के पैरा संख्या 7 के अनुसार ब्याज के भुगतान की विलम्ब अवधि के लिए ब्याज की स्वीकृति जारी किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार उक्त राशि पर देय ब्याज का भुगतान रूपये 79,074/– का कराने का निर्देश जारी किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2011 को हुई थी जबकि उसे सी.सी.ए. नियम 16 के अंतर्गत संयुक्त जांच के तहत कार्मिक विभाग द्वारा आरोप पत्र दिनांक 19.12.2007 के द्वारा जारी किया गया था। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के बाद विभाग द्वारा जारी दण्डादेश दिनांक 11.03.2017 नियमानुसार जारी किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.11.2016 के संदर्भ में कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.11.2016 के निर्देशानुसार विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए विभाग द्वारा दण्डादेश दिनांक 31.03.2017 को जारी किया गया, जो नियमानुसार है। राजस्थान पेशन नियम 1996 के नियम 7(2)(ए) के अंतर्गत राज्यपाल को किसी कार्मिक के पेंशन या उसके किसी भाग को

स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने तथा सरकारी आर्थिक हानि को संपूर्ण या आंशिक रूप से पेंशन में से वसूल करने का है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.03.2017 के द्वारा आंशिक रूप से जिम्मेदार पाए जाने पर एवं प्रकरण काफी पुराना होने तथा दिनांक 30.06.2011 को सेवानिवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप आर्थिक हानि का निर्धारण नहीं कर कोई वसूली नहीं करने का आदेश दिया गया है, जो अपीलार्थी के हित में ही है। अपीलार्थी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अंतर्गत विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण विभागीय आदेश दिनांक 31.03.2017 के द्वारा हुआ तथा इस क्रम में आदेश दिनांक 30.04.2017 के द्वारा कोई जांच बकाया नहीं, का प्रमाण पत्र उचित समय में जारी कर दिया गया था, जिसके पश्चात् दिनांक 22.06.2017 को अपीलार्थी को उपदान राशि का भुगतान जारी हुआ, जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक कमियां/निष्क्रियता के कारण विलम्ब नहीं हुआ। फलस्वरूप उपदान की राशि पर ब्याज देय नहीं होता। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2011 को हुई थी। परंतु विभागीय आदेश दिनांक 22.11.2016 के निर्देशानुसार विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व दिनांक 19.12.2007 को प्रारंभ की जा चुकी थी, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.11.2016 के परिप्रेक्ष्य में उचित माना। विभागीय जांच के आदेश दिनांक 31.03.2017 के द्वारा अपीलार्थी को आंशिक रूप से दोषी पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को पूर्ण रूप से दोषमुक्त करार नहीं दिया गया। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी पर सहानुभूति का दृष्टिकोण रखते हुए अपीलार्थी के प्रकरण को समाप्त किया गया। अपीलार्थी को निर्दोष घोषित नहीं किया गया था। इस प्रकार परिपत्र दिनांक 29.07.2016 के अनुसार सेवानिवृत्त परिलाभों के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज देय नहीं होता है। हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी उपदान राशि का भुगतान विलम्ब से होने के कारण उस पर 9 प्रतिशत ब्याज पाने का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)